(Authorised English Translation)

HARYANA GOVERNMENT

DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT

Notification

The 13th September, 2017

No. S.O. 65/H.A. 11/1994/S. 209/2017.– In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of Section 209 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 (11 of 1994), and with reference to Haryana Government, Development and Panchayats Department, Notification No. S.O.55/H.A.11/1994/S.209/2017, dated the 28th July, 2017, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Panchayati Raj Rules, 1995, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Rules, 2017.

2. In the Haryana Panchayati Raj Rules, 1995, after rule 12, the following rule shall be inserted, namely:-

"12-A. Grant of permission to dig, alter or damage a street pavement or drain section 24(3).- (1) In case a street or drain is required to be dug, altered or damaged by the inhabitants of the concerned village for the purpose of having connection from the already laid down pipeline within the abadi area, the permission shall not be granted by the Gram Panchayat unless the person seeking permission has deposited the restoration charges as per the estimates prepared by the Sub-Divisional-Officer (Panchayati Raj) through Bank Transfer/Demand Draft, as the case may be, to the account of the concerned Gram Panchayat. The Gram Panchayat shall ensure that the pavement/street/drain is restored to its original condition, as soon as possible, but not later than a period of thirty days from the date of completion of the work by the applicant.

(2) In case the street/passage/drain/pavement owned by the Gram Panchayat is required to be dug, altered, damaged or utilized by any person for the purpose of laying down utility infrastructure, the applicant shall submit an application to the Gram Panchayat in this behalf and, thereafter, the Gram Panchayat may considered after passing a resolution, forward the proposal to the concerned Sub- Divisional Officer (Civil) through the concerned Block Development and Panchayat Officer.

(3) A Committee headed by the concerned Sub Divisional Officer (Civil) and comprising of (i) the District Town Planner or her representative not below the rank of Assistant Town Planner, (ii) the concerned Block Development and Panchayat officer, (iii) Sub Divisional Officer (Panchayati Raj), shall consider such application and make its recommendation to the Deputy Commissioner, within thirty days of the application;

(4) The Deputy Commissioner shall examine and forward the report of the Committee with or without modification in the proposal for approval to the Director, Panchayats. The Director, Panchayat may is of opinion that granting of permission is not in public interest, may refuse the grant of permission.

(5) The Director, Panchyat may, either *suo motu* or on application made to him by a Panchayat or an inhabitant of the village or the Block Development and Panchayat Officer, examine the record for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of any approval. If such approval is found detrimental to the interest of the villagers and is no longer required in public interest, the competent authority may, after making such enquiry as it may deem fit, cancel the same. The Panchayat shall be competent to remove the infrastructure and the constructions thereon, if any, for which no compensation shall be payable.

(6) After approval of Director, the applicant shall deposit besides the one time upfront land use charges @ an amount equal to 5% of the Collector rate of the land used for laying the utility infrastructure, annual charges @ of an amount equal to 0.5% of the Collector rate of the land used for the purpose, which shall be worked out on per square meter basis. The user charges shall be payable by the applicant in advance in the account of the concerned Gram Panchayat through Bank Instruments i.e. Demand Draft/ Real Time Gross Settlement etc. In addition, the applicant shall have to deposit the restoration charges with the Gram Panchayat by way of Demand Draft/ Real Time Gross Settlement/National Electronics Funds Transfer as per the estimates prepared by the concerned Sub-

Divisional-Officer (Panchayati Raj).

(7) The applicantion shall have to lay the utility infrastructure at least one meter below the surface of the ground with provision for sufficient number of man-holes, as advised/ approved by the Sub-Divisional-Officer (Panchayati Raj). The applicant shall also provide adequate buffer at the top of the utility pipeline/cable to save the same from any possible damage on account of surface loads. The applicant shall have to undertake a defect liability and if any damage is caused to the surface during this period, the applicant shall be liable to rectify the defects at his cost.

(8) In case the passage becomes unusable during the course of execution of works, the applicant shall be responsible to provide an alternate passage during such period so as to ensure that no inconvenience is caused to the public.".

ANURAG RASTOGI,
Principal Secretary to Government Haryana,
Development and Panchayats Department.

55624—L.R.—H.G.P., Chd.

भाग—III

हरियाणा सरकार

विकास तथा पंचायत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 13 सितम्बर, 2017

संख्या का0आ0 65/ह0अ0 11/1994/धा0 209/2017.— हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का 11) की धारा 209 की उप– धारा(2) के साथ पठित उप–धारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा हरियाणा सरकार, विकास तथा पंचायत विभाग, अधिसूचना संख्या का0आ055/ह0अ011/1994/धा0 209/2017, दिनांक 28 जुलाई, 2017 के प्रति निर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा पंचायती राज नियम, 1995 को आगे संशोधित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. ये नियम हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) नियम, 2017, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा पंचायती राज नियम, 1995 में, नियम 12 के बाद, निम्नलिखित नियम जोड़ दिया जायेगा, अर्थात्:—

"**12 क, गली, पटरी या नाली को खोदने, परिवर्तित करने अथवा क्षतिग्रस्त करने की अनुमति देना। धारा 24(3).**— (1) यदि संबंधित गांव के ग्रामवासियों द्वारा आबादी देह के भीतर पहले से बिछाई गई पाइप लाईन से कनेक्शन जोड़ने के प्रयोजन के लिए गली, पटरी या नाली को खोदना, परिवर्तित करना या क्षतिग्रस्त करना अपेक्षित है, तो जब तक अनुज्ञा प्राप्त करने वाला व्यक्ति उप मण्डल अधिकारी (पंचायती राज) द्वारा तैयार किए गए अनुमान अनुसार, पुनः स्थापन प्रभार संबंधित ग्राम पंचायत के खाते में बैंक अन्तरण/ बैंक ड्राफट, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा जमा नहीं करवाता है, तब तक ग्राम पंचायत द्वारा अनुज्ञा प्रदान नहीं की जाएगी। ग्राम पंचायत यह सुनिश्चित करेगी कि गली/पटरी/नाली यथा सम्भव शीघ्र, किन्तु आवेदक द्वारा कार्य सम्पूर्ण करने की तिथि से तीस दिन के बाद नहीं, उसकी मूल स्थिति में पुनः स्थापित कर दी गई है।

(2) यदि किसी व्यक्ति द्वारा उपयोग अवसंरचना बिछाने के प्रयोजन के लिए ग्राम पंचायत के स्वामित्वाधीन गली/पटरी/नाली को खोदना, परिवर्तित करना, क्षतिग्रस्त करना या उपयोग करना किसी व्यक्ति द्वारा अपेक्षित है, तो आवेदक इस बारे में आवेदन ग्राम पंचायत को प्रस्तुत कर सकता है तथा उसके पश्चात् ग्राम पंचायत संकल्प पारित करते हुए प्रस्ताव संबंधित खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी के माध्यम से संबंधित उप–मण्डल अधिकारी (नागरिक) को अग्रेषित करेगी।

(3) सम्बद्ध उप–मण्डल अधिकारी (नागरिक) की अध्यक्षता में और (i) जिला नगर योजनाकार या उसका प्रतिनिधि जो सहायक नगर योजनाकार से नीचे की पदवी का न हो, (ii) संबंधित खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारी, (iii) उप–मण्डल अधिकारी(पंचायती राज) से मिलकर बनने वाली समिति, उपरोक्त आवेदन पत्र की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसे आवेदन पत्र पर विचार करेगी और उपायुक्त को अपनी सिफारिश करेगी।

(4) उपायुक्त, उक्त समिति की रिपोर्ट का निरीक्षण करेगा और प्रस्ताव में संशोधन सहित या के बिना निदेशक पंचायत को अनुमोदन हेतु अग्रेषित करेगा। निदेशक, पंचायत की राय में अनुमति प्रदान करना लोक हित में नहीं है, तो अनुमति प्रदान करने से इन्कार कर सकता है।

(5) निदेशक, पंचायत या तो स्वप्रेरणा से या पंचायत या गांव के किसी निवासी या खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी द्वारा किए गए आवेदन पर, किसी अनुमोदन की वैधता या औचित्य के संबंध में अपनी संतुष्टि करने के प्रयोजन के लिए रिकार्ड का निरीक्षण कर सकता है। यदि ऐसा अनुमोदन गांववासियों के हितों के लिए पाया जाता है और लोकहित में इससे आगे अपेक्षित नहीं है, तो सक्षम अधिकारी ऐसी जांच जैसा वह उचित समझे, जांच करने के उपरान्त, उसे रद्द कर सकता है। पंचायत उस पर अवसंरचना तथा उस पर निर्माण, यदि कोई हो, को हटाने के लिए सक्षम होगी, जिसके लिए कोई भी प्रतिकर भुगतानयोग्य नहीं होगा।

(6) निदेशक के अनुमोदन के बाद, आवेदक, उपयोगी अवसंरचना बिछाने के लिए प्रयोग की गई भूमि की कलक्टर दर के 5 प्रतिशत के बराबर की राशि की दर पर एक– मुश्त एक बार भूमि प्रयोग के शुल्क के अतिरिक्त, उस प्रयोजन के लिए प्रयोग की गई भूमि की कलक्टर दर के 0.5 प्रतिशत के बराबर राशि की दर से वार्षिक शुल्क जमा करवाएगा, जिसकी गणना प्रति वग गज आधार पर की जाएगी। उपयोग शुल्क आवेदक द्वारा शुल्क बैंक साधन अर्थात् डिमाण्ड ड्राफट/रियल टाइम ग्रॅास सेटलमेंट इत्यादि के माध्यम से संबंधित ग्राम पंचायत के खाते में अग्रिम के रूप में भुगतानयोग्य होंगे। इसके अतिरिक्त, आवेदक संबंधित उप–मण्डल अधिकारी (पंचायती राज) द्वारा तैयार किये गये अनुमान के अनुसार डिमाण्ड ड्राफट/रियल टाइम ग्रॅास

सेटलमेंट/नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के माध्यम से ग्राम पंचायत के पास पुनः स्थापना प्रभार जमा करवाएगा।

(7) आवेदक, उपमण्डल अधिकारी (पंचायती राज) की सलाह/अनुमोदन अनुसार पर्याप्त मात्रा में मैनहोलों की व्यवस्था करते हुये भूमि की ऊपरी सतह से कम से कम एक मीटर नीचे उपयोग अवसंरचना डलवाएगा। आवेदक सतही भार के कारण किसी संभव नुकसान से उसे बचाने के लिए उपयोग पाईप लाईन/केबल के ऊपर पर्याप्त प्रतिरोधक की भी व्यवस्था करेगा। आवेदक को दोष दायित्व का भी वचन देना होगा और यदि इस अवधि के दौरान सतह को कोई नुकसान होता है, तो आवेदक अपनी लागत पर ऐसे दोषों को सुधारने के लिए भी दायी होगा।

(8) यदि कार्य निष्पादन के दौरान रास्ता अनुपयोगी हो जाता है, तो आवेदक ऐसी अवधि के दौरान वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था करने के लिए भी जिम्मेवार होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लोक जन को कोई असुविधा नहीं हो रही है।"।

अनुराग रस्तोगी,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास तथा पंचायत विभाग।